रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 126] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 1995/चैत्र 3, 1917
No. 126] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 1995/CHAITRA 3, 1917

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1995

सा.का.नि. 289(अ).—लोक ऋण नियम, 1946 के खण्ड (ख) के नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निर्दिष्ट करती है कि लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 के खण्ड (2) के उप-खण्ड (ख) के प्रयोजनों हेतु सरकारी प्रतिभूति के लिए निम्नलिखित फार्म होगा, यथा :—

फार्म

भारत सरकार
का अंकित स्टाक

12.08 प्रतिशत भारत सरकार क्षति पूर्ति (इराक को परियोजना निर्यात) बाण्ड 2001

खाता ऋण प्रमाण पत्र सं.———————————

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि———————————

———————————रुपए के 12.08 प्रतिशत भारत सरकार क्षतिपूर्ति (इराक को परियोजना निर्यात) बाण्ड, 2001 का पंजीकृत स्वामी है।

सरकारी स्टाक पर 12.08 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज लगेगा जो बाण्ड की अवधि आरम्भ होने की तिथि से वार्षिक रूप से देय होगा और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा दिनांक 24-3-1995 को जारी अधिसूचना एफ. सं. 4(18) डब्ल्यू एण्ड एम/94 के अनुसार वापस अदायगी योग्य होगा ।

लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिजर्व बैंक
दिनांक

गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक

कृते प्रबन्धक

पृष्ठांकन द्वारा अहस्तांतरणीय
(अंकित स्टाक के संबंध में ब्यौरे के लिए प्रमाणपत्र के पीछे देखें)

लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली, मद्रास, बंगलौर, पटना, हैदराबाद, नागपुर, कानपुर, जयपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, तिरूवनंतपुरम और भुवनेश्वर में पंजीकृत भारत सरकार के ऋण के अंकित स्टाक (खाता ऋण) के संबंध में ब्यौरा

1. स्टाक प्रमाणपत्र पृष्ठांकन द्वारा परक्राम्य नहीं है और अन्तरण निश्चित रूप से विलेख के माध्यम से किए जाएं । ऐसे अन्तरण स्टाम्प ड्यटी से मुक्त हैं।

2. इस प्रयोजन के लिए लोक ऋण नियम, 1946 के अन्तर्गत यथानिर्धारित अलग खाली अन्तरण विलेख (लोक ऋण कार्यालय से प्राप्त) इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कार्य स्वामी अथवा उसके अटार्नी के माध्यम से किया जाए और इसके बाद के मामले में, यह विक्रय के अधिकार, समुचित रूप से स्टाम्प युक्त होना चाहिए ।

3. विक्रय के मामले में यह प्रमाणपत्र लोक ऋण कार्यालय अथवा राजकोष, जहां ब्याज देय हो, में अभ्यर्पित किया जाए । जहां स्टाक का केवल कुछ भाग ही अन्तरित किया जाता है, वहां खरीददार को अन्तरित राशि के लिए प्रमाणपत्र और अंतरणकर्ता को शेष राशि के लिए नया प्रमाणपत्र प्राप्त होगा ।

4. उप-विभाजन के मामलों को छोड़कर, स्टाक प्रमाणपत्रों के जारी किए जाने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। उप-विभाजन के संबंध में जारी किए गए प्रत्येक नए स्टाक प्रमाणपत्र पर 25 पैसे प्रति प्रमाणपत्र और अधिक से अधिक 1 रुपया का शुल्क देय होता है।

5. स्टाक प्रमाणपत्रों को लोक ऋण कार्यालय जिसके खातों में स्टाक को अन्तरित किया जाना है, में अभ्यर्पित करके स्टाक को बम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली, मद्रास, बंगलौर, पटना, हैदराबाद, नागपुर, कानपुर, जयपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, तिरूवनंतपुरम और भुवनेश्वर के बीच अन्तरित किया जा सकता है।

6. स्टाक पर ब्याज स्टाक प्रमाणपत्रों की पूर्व-प्रस्तुति के बिना लोक ऋण कार्यालय द्वारा जारी किए गए वारंटो द्वारा अदा किया जाता है और यह भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली, मद्रास, बंगलौर, नागपुर, पटना, कानपुर, जयपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, गुवाहाटी, तिरूवनंतपुरम और भुवनेश्वर के स्थानीय कार्यालय में देय होगा । स्टाक प्रमाणपत्र के धारक के अनुरोध पर जो, यदि लोक लेखा कार्यालय को लिखित रूप में किया जाए तो बेहतर होगा, वारण्ट भारतीय रिजर्व बैंक के किसी अन्य कार्यालय, अथवा भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा अथवा इसके किसी सम्बद्ध कार्यालय जहां राजकोषीय लेन-देन होते हैं अथवा भारत के किसी राजकोष अथवा उप-राजकोष में देय होगा । यदि धारक चाहें तो कमीशन प्रभार घटा कर ब्याज की राशि उसे धनादेश द्वारा भी प्रेषित कर दी जाएगी ।

7. ब्याज की अदायगी की देय तारीख से एक दिन पूर्व लोक लेखा कार्यालय (बम्बई; कलकत्ता, नई दिल्ली, मद्रास, बंगलौर, पटना, हैदराबाद, नागपुर, कानपुर जयपुर अहमदाबाद, गुवाहाटी, तिरूवनंतपुरम और भुवनेश्वर) से डाक द्वारा वारण्ट मालिक को उसके पंजीकृत पते पर अथवा संबंधित लोक लेखा कार्यालय को इस आशय से लिखित रूप में अनुरोध किए जाने पर किसी मान्यता-प्राप्त बैंक अथवा एजेंट को भेजे जाएंगे । (उपरोक्त लिखित अनुरोध निर्धारित प्रपत्र में ही किया जाएगा जिसकी प्रति लोक ऋण कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।)

8. लोक ऋण कार्यालय के स्टाक से संबंधित खाते सन्तुलित करने और ब्याज वारण्ट तैयार करने के लिए ब्याज की देय तारीख से एक माह पूर्व समाप्त कर दिए जाएंगे । समापन की तारीख के बाद प्रस्तुत किए गए स्टाक को "वारण्ट रहित" अन्तरित कर दिया जाएगा ।

9. ऊपर मद 7 में उल्लिखित अनुरोध फार्म खातों के समापन की देय तारीख से एक दिन पूर्व लोक ऋण कार्यालय में अवश्य पहुंच जाएं । उनमें दिए गए अनुदेशों का तब तक पालन किया जाएगा जब तक कि उन्हें निरस्त नहीं कर दिया जाता । यदि अनुरोध फार्म समय पर नहीं भेजे जाते हैं तो वारण्ट यथाशीघ्र भेज दिए जाएंगे और लोक ऋण कार्यालय उन्हें वारण्ट अदा किए जाने की देय तारीख से एक दिन पूर्व वारण्ट भेजने की जिम्मेदारी नहीं लेगा ।

10. जिस व्यक्ति को वारण्ट भेजे जाने हैं वह अपने पते में किसी तरह का परिवर्तन होने की सूचना लोक ऋण कार्यालय को तत्काल भेज दें । इस तरह की सूचना (जिसमें ऋण, स्टाक प्रमाण-पत्र की संख्या और धनराशि का विवरण अवश्य दिया गया हो) यदि ब्याज की देय तारीख से पूरे दिन की अवधि से पहले लोक ऋण कार्यालय में नहीं पहुंचती है तो लोक ऋण कार्यालय इस ब्याज की अदायगी होने तक, उसे रिकार्ड करने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता ।

अन्तरण ज्ञापन

संख्या	अन्तरण की तारीख	अन्तरिती/अन्तरितियों का नाम	आद्याक्षर	स.ले.अ./ ले.अ. के हस्ताक्षर

[फा. सं. 4(18)/डब्ल्यू एण्ड एम/94]
भारत के राष्ट्रपति के आदेश से द्वारा

एन. पी. बागची, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1995

G.S.R. 289 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of rule 4 of the Public Debt Rules, 1946, the Central Government hereby specifies that the following shall be the form of Government security for the purposes of sub-clause (b) of clause (2) of section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944), namely:—

FORM

GOVERNMENT OF INDIA

INSCRIBED STOCK

OF THE

12.08 per cent Government of India Compensation (Project Exports to Iraq) Bonds 2001.

BOOK DEBT CERTIFICATE NO. .....

I hereby certify that..... is the registered Proprietor of 12.08 per cent Government of India Compensation (Project Exports to Iraq) Bonds, 2001 of Rupees———— Government Stock which will bear interest at 12.08 per cent, per annum, payable annually from the date of commencement of tenure of the Bond and would be repayable in accordance with the Notification No. F. No. 4 (18) W&M/94 dated 24-3-1995 issued by the Government of India, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs).

Public Debt Office

Reserve Bank of India

Date

Governor, Reserve Bank of India

for Manager

Not transferable by endorsement.

(For details regarding Inscribed Stock see reverse of the Certificate).

Details regarding Inscribed Stock (Book Debt) of the Government of India Loans registered at the Public Debt Office, Reserve Bank of India, Bombay, Calcutta, New Delhi, Madras, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar.

1. Stock Certificates are not negotiable by endorsement and transfers must be effected by deed. Such transfers are free of Stamp duty.

2. A separate blank transfer deed as prescribed under Public Debt Rules, 1946 (obtainable from Public Debt Office) may be used for the purpose. It must be executed by the proprietor or his attorney and in the latter case, it must be supported by a power of sale, properly stamped.

3. In the case of sale, this Certificate must be surrendered either at the Public Debt Office or at the treasury where interest is payable. Where a portion only of the stock is transferred, the purchaser will receive a Certificate for the amount transferred and the transferor a new Certificate for the balance.

4. No fee is charged on the issue of Stock Certificates except in cases of sub-divison. A fee of 25 paise per cent. With a maximum of Re 1/- is payable on each new Stock Certificate issued in respect of sub-division.

5. Stock may be transferred between Bombay, Calcutta, New Delhi, Madras, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswar by surrender of the Stock Certificate at the Public Debt Office to whose books it is desired to be transferred.

6. Interest on Stock is paid by warrants issued by the Public Debt Offic without previous tender of the Stock Certificate and payable at the local office of the Reserve Bank of India, Bombay, Calcutta, New Delhi, Madras, Bangalore, Nagpur, Patna, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Hyderabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubanewar. The warrant will, at the request of the holder of the Stock, Certificate, to be perferred in writing to the Public Debt Office, be made payable at any other office of the Reserve Bank of India or at any branch of the State Bank of India or its Associates conducting treasury business or at any treasury or sub-treasury in India. If the holder so desireses interest will also be remitted by Money Order after deducting the commission charges.

7. On the day before the due date of payment of interest warrants will be sent out by post from the Public Debt Office (Bombay, Clacutta, New Delhi, Madras, Bangalore, Patna, Hyderabad, Nagpur, Kanpur, Jaipur, Ahmedabad, Guwahati, Thiruvananthapuram and Bhubaneswer) to the proprietor at his registered address or if a written request to that effect has been filed at the Public Debt Office concerned, to a recoginsed Bank or Agent. (The written request mentioned above must be made in the prescribed form, a copy of which may be obtained from the Public Debt Office).

8. The books of the Public Debt Office relating to Stock will be closed for balancing and preparation of Interest Warrants one month before the date on which interest is due. Any Stock tendered subsequent to the closing day will be transferred" ex-warrant".

9. Request forms as mentioned in item 7 hereinabove must reach the Public Debt Office before the day on which the books are due to be closed. The instructions given therein will be acted upon until cancelled. If request forms are not lodged in time, the Warrant will be forwarded as soon as possible, but the Public Debt Office will not undertake to post them the day before thefarrant is a payable.

10. Any change in the address of the proprietor to whom the a warrants are sent, should be communicated at once to the Public Debt Office When any such communication (which must contain particulars of the loan, number and amount of Stock Certifcate) reaches the Public Debt Office less than three clear days before the interest is due, the Public Debt Office cannot undertake to record it until after the payment of such interest.

MEMORANDUM OF TRANSFERS

Number	Date of transfer	Name(s) of Transferee(s)	Initials	Signature of A.A.O./A.O.

[F.No.4(18)W & M/94]

By order of the President of India

N. P. BAGCHEE, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995